बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

कार्यालय आदेश

सं० संख्या–3/स्था० (6) 03/2018................/ पटना–15, दिनांक–.............../2026

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना में संविदा/ आउटसोर्सिंग (बेल्ट्रॉन से सेवा प्राप्त)/ बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के माध्यम कार्यरत महिला कर्मियों को प्रत्येक माह में 02 (दो) दिनों का विशेष अवकाश अन्य नियमित महिला कर्मियों की भाँति दिये जाने का निर्णय लिया गया है। यह विशेष अवकाश प्रत्येक माह में दो लगातार दिनों के लिए एक ही बार देय होगा।

2. यह विशेष अवकाश सभी संविदा/आउटसोर्सिंग (बेल्ट्रॉन से सेवा प्राप्त)/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के माध्यम से कार्यरत महिला कर्मियों को पंचाग वर्ष में अनुमान्य आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त देय होगा।
3. विशेष अवकाश देने का अधिकार नियंत्री पदाधिकारी का होगा।
4. यह अवकाश प्रत्येक माह में दो लगातार दिनों के लिए एक ही बार अनुमान्य होगा।
5. इस अवकाश के लगायत अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
6. विशेष अवकाश वैकल्पिक व्यवस्था रहने पर अनुमान्य होगा।
7. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
8. इस आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(जीतेन्द्र कुमार मिश्रा)

सरकार के अवर सचिव,

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

बिहार, पटना।

सं० संख्या–3/स्था० (6) 03/2018................/ पटना–15, दिनांक–.............../2026

प्रतिलिपि –माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव,

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

बिहार, पटना।

सं० संख्या–3/स्था० (6) 03/2018..631..../ पटना–15, दिनांक–05/02/2026

प्रतिलिपि –सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि०, बेल्ट्रॉन, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

बिहार, पटना।